


## आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के शासनादेश संख्या-F.No-11-306/2014 -FC Date-28.08.2015 वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 941/x-4-18/1-05 (04)/2014 Date 26.09.2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा- 11.2 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में प्रस्ताव- नैटवाड से हल्वाडी (पुजेली, खन्यासणी, भितरी) मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 03.968 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप कार्य आरम्भ करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है:-

1. यह अनुमति विधिवत स्वीकृति की प्राप्ति तक अथवा इस आदेश के जारी होने के एक वर्ष तक जो पहले हो तक ही वैध होगी।
2. परियोजना में किसी भी वन्य जीव को किसी भी दशा में कोई क्षति न होने पाय किसी भी क्षति के लिये प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. परियोजना में वन भूमि में किसी भी प्रकार के वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार शून्य वृक्ष (Including Saplings) है।
5. वन भूमि पर कोई भी शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
7. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
8. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में सलगनक मलबा निस्तारण योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा।
9. भारत सरकार द्वारा जारी निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों/उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्तों का उल्लंघन, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (यथा संशोधित 2022) का उल्लंघन होगा, जिस पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव अधिनियम 1972 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाना होगा।

  
(डी०पी०बलोनी)  
उप निदेशक

गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पार्क  
पुरोला, उत्तरकाशी



गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला

दूरभाष-01373-223433

Email-gwlspurola@gmail.com

कार्यालय-उप निदेशक,

गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पत्रांक:- 914 / 12-1

पुरोला

दिनांक 20 अक्टूबर 2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखण्ड, देहरादून सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक आई०टी०जी०सी० एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन क्षेत्राधिकारी रूपिन राजि, नैटवाड को इस निर्देश से प्रेषित की उपरोक्त सभी शर्तों का कडाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश में उल्लिखित अनुमति की वैध तिथि तक उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति की प्राप्ति ना होने की दशा में कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द करवाना सुनिश्चित करें एवं आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये उक्त शर्तों का अनुपालन न होने के दशा में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाये।

(डी०पी० बलोनी)

उप निदेशक

गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पार्क  
पुरोला, उत्तरकाशी